

हरि मलखा शहर के बाहरी इलाके पूर्व विधायक के फार्महाउस का पते मिला था।

नहीं रहें हैं व अमर हर काम, लन-दन, बुर भले कानुनी व नैतिक कृत्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। आर. के. सिंह, अधिवक्ता, चौधरी नं. 429, अधिवक्ता कक्ष, जिला न्यायलय, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075.

Given under my hand and the seal of the court. This ... day of ... 2015. SEAL. Addl. District Judge-06. (West), Tis Hazari Courts Delhi.

प्रति, प्रतिवादीगण: श्री अमित भूतानी पुत्र श्री राकेश भूतानी (ऋणप्राप्तकर्ता) निवासी एम-3, ब्लॉक-एम, साकेत, नई दिल्ली-110017 जबकि उपरोक्त नामित आवेदक ने प्रतिवादी के विरुद्ध रु. 26,38,449/- (रु. छब्बीस लाख, अड़तीस हजार, चार सौ उनचास मात्र) राशि की वसूली हेतु एक वाद संस्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण के संतोष हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको समन को तालीम साधारण माध्यम से संभव नहीं है। अतः यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 24.11.2015 में पूर्वाह्न 11.00 बजे इस न्यायाधिकरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त अंकित तिथि को इस न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असफल रहते हैं तो वाद आपको अनुपास्थिति में एक पक्षीय आधार में सुना तथा निर्धारित किया जायेगा। सहायक पंजीयनकर्ता डीआरटी-II, दिल्ली

जाना तथा में सुन पुरो जाता रोना परिवार तोस 27.11 हेतु असफल से सुन मुद्रा

कार्यालय वसूली अधिकारी-II, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री की घोषणा

पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक: 71/2015, यूको बैंक, विरुद्ध श्री नरेश गुप्ता तथा अन्य, तिथि: 10.11.2015 आयकर अधिनियम, 1961 हेतु द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 हेतु देय ऋण (डिबिट्स) को वसूली के साथ पढ़ें, के नियम 38, 52(2) अंतर्गत बिक्री की घोषणा तथा (1) श्री नरेश गुप्ता पुत्र श्री बाल किरान गुप्ता, बी-29, बृज विहार अपार्टमेंट, पौतमपुरा, दिल्ली-110034 (2) श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नी श्री नरेश गुप्ता, बी-29, बृज विहार अपार्टमेंट, पौतमपुरा, दिल्ली-110034, (3) तरुण कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार, मकान क्रमांक: 111, पॉकेट-17, सेक्टर-24, राहिणी, दिल्ली-110085 (4) श्रीमती सिमरन पत्नी श्री राजेश कुमार, मकान क्रमांक: 111, पॉकेट-17, सेक्टर-24, राहिणी, दिल्ली-110085, जबकि ऋण प्राप्तकर्ता प्रतिवादी रुपए 43,18,722.00 पैसे (रुपए तिरास लाख, अठारह हजार, सात सौ बाइस मात्र) की एक राशि के भुगतान हेतु असफल थे तथा जोकि अध्यक्ष अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी ओए क्रमांक: 268/2012/डीआरटी-III, दिल्ली, तिथि: 12.3.2015 में वसूली प्रमाण पत्र अनुसार ऋणप्राप्तकर्ता/प्रतिवादी द्वारा भुगतान योग्य है तथा लागत वसूली प्रमाण पत्र अनुसार भुगतान योग्य है तथा जबकि कार्यालय, अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाण पत्र के संतोष में निम्नलिखित अनुसूची में अंकित सम्पत्ति को बिक्री हेतु आदेश जारी किया है तथा जबकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाण पत्र के संतोष में निम्नलिखित अनुसूची में अंकित सम्पत्ति को बिक्री हेतु आदेश जारी किया है तथा जबकि रुपए 43,18,722.00 पैसे (रुपए तिरास लाख, अठारह हजार, सात सौ बाइस मात्र) की एक राशि आकस्मिक व्यय तथा इसमें @13% ओए अर्थात् 7.6.2015 के दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष तथा संयुक्त रूप से तथा समस्त प्रकार से ऋण प्राप्तकर्ता/सीडोएस के विरुद्ध देय है, पूर्ण रूप में देय राशि को वसूली तक के दर्ज करने की तिथि से है तथा एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कार्य अगली तिथि तक स्थगित के किसी आदेश को अनुपस्थिति में, उक्त कथित सम्पत्ति तिथि 28.12.2015 में अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बिक्री की जाएगी (बंद तिथि तथा समय से पूर्व अंतिम 5 मिनट्स में बोली के बाद, मामले में स्वचालित उपबंध के साथ, यदि आवश्यक है) मैसर्स सी। इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, एलफ पेट्रोकेम बिल्डिंग क्रमांक: 301, उद्योग विहार, फेज-II, गुडगांव (हरियाणा राज्.)-122015, सहायता दूरभाष संख्या +91-124-4302020/21/22/23/24, ई-मेल पहचान पत्र आईडी: Support@bankeauctions.com तथा सम्पर्क हेतु व्यक्ति: श्री रोहित शर्मा, मोबाइल क्रमांक: 09582385066 ई-मेल: rohitsharma.com द्वारा तथा आगे विवरण हेतु सम्पर्क कॉपी: नैमो चन्द्र मुख् प्रबंधक तथा मोबाइल क्रमांक: 8447776715 तथा दूरभाष क्रमांक: 011-23753278 तथा उपरोक्त नामित प्रतिवादी जैसा कि निम्नलिखित अनुसूची में अंकित अनुसार है को सम्पत्ति बिक्री की जाएगी तथा कथित सम्पत्ति हेतु संबद्ध दावे, अब तक अनुसार जैसा कि वह निर्धारित किए जा सकते हैं तथा जोकि प्रत्येक एकत्रित सामग्री के सम्मुख अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तथा सम्पत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट एकत्रित सामग्री में बिक्री हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा यदि वसूली हेतु राशि सम्पत्ति के एक भाग की बिक्री तक संतुष्ट है, बिक्री पुनः स्मरण पत्र के संबंध में शांति तथा संतुष्टि को रोक दी जाएगी तथा बिक्री रोक भी दी जाएगी, यदि कोई एकत्रित सामग्री आवश्यक है तथा कथित प्रमाण पत्र में अंकित शेष बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की लागत शामिल करके) बिक्री का संचालन कर रहे अधिकारी हेतु प्रस्तुत है अथवा उनके संतोष हेतु साक्ष्य प्रदान किया गया है कि इस प्रकार प्रमाण पत्र, ब्याज तथा लागत को राशि कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु चुकाई गई है, कोई अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति बिक्री के संबंध में कार्य समाहित करने हेतु कोई कर्तव्य नहीं रखता है इस प्रकार या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त हेतु बोली, अर्जन कार्य अथवा बिक्री की गई सम्पत्ति में कोई हित, रुचि इत्यादि अर्जन हेतु प्रयास नहीं करेगा तथा बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों के आधार में होगी तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में तथा आगे निम्नलिखित शर्तों हेतु तथा विवरण संयुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तथा कार्यालय अधोहस्ताक्षरी की उत्तम सूचना हेतु उल्लिखित है किन्तु कार्यालय अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा के संबंध में किसी ट्रिड, असत्य कथन अथवा भूल-चूक इत्यादि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा, सह स्वामी जहां सम्पत्ति बिक्रीकर्ता तथा सह ऋण प्राप्तकर्ता अनुसार कोई अन्य व्यक्ति से संबंधित है के नाम तथा विवरण इत्यादि के साथ बिक्री की जाएगी का विवरण: सम्पत्ति फ्लैट क्रमांक: 193-बी, प्रथम मंजिल, मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणी ब्लॉक ए-2, टाइप-ए तथा एकता अपार्टमेंट्स में स्थित पश्चिम विहार, नई दिल्ली तथा सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग अंतर्गत मूल्यांकित तथा कर निर्धारण राजस्व-ज्ञात नहीं सम्पत्ति जोकि देय है हेतु किसी अन्य भार तथा प्रतिबंध का विवरण: ज्ञात नहीं, दावा, यदि कोई है तथा जिसके हेतु सम्पत्ति आगे प्रस्तुत है तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण सम्पत्ति की प्रकृति तथा मूल्य शामिल करके: ज्ञात नहीं, नियम तथा शर्तों का विवरण: (1) सुरक्षित मूल्य जिससे निम्न सम्पत्ति बिक्री नहीं की जाएगी रुपए 61,20,000.00 पैसे (रुपए इकसठ लाख, बीस हजार मात्र) (2) राशि जिस तक बोली कार्य प्रक्रिया बृद्धि की जाएगी रुपए 1,00,000.00 पैसे (रुपए एक लाख मात्र) तथा बोली को राशि हेतु किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न के मामले तथा घटना में अथवा बोलीदाता हेतु इस प्रकार, नीलामी हेतु एक समय पुनः प्रस्तुत किया जाएगा तथा (3) उच्चतम बोलीदाता हेतु किसी एकत्रित सामग्री के क्रेता अनुसार घोषित किया जाएगा तथा यह मूल्य उच्चतम बोली (बिड) की स्वीकृति/हास हेतु इस प्रकार असंभव रूप से उपस्थित प्रस्तावित है। (4) रुपए 6,10,000.00 पैसे (रुपए छह लाख, दस हजार मात्र) खाता क्रमांक: 21281032220001 तथा आईएफएससी कोड क्रमांक: यूसीबीए 0002128 में यूको बैंक, परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा, दिल्ली-110001 हेतु प्रत्यक्ष रूप से तथा आरटीजीएस/एनईएफटी माध्यम से अथवा कार्यालय वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में मांग देय पत्र/पे-ऑर्डर के माध्यम द्वारा तिथि 22.12.2015 तक जमा करना होगा तथा इसके पश्चात जमा धरोहर राशि ई-नीलामी में सहभागिता हेतु विचार नहीं की जाएगी। (5) PAN कार्ड की प्रति, पता साक्ष्य तथा पहचान पत्र साक्ष्य, ई-मेल पहचान पत्र आईडी मोबाइल क्रमांक तथा उद्घोषणा की प्रति यदि वह उनके स्वयं की ओर से बोली कार्य प्रक्रिया में है अथवा उनके मूल धन राशि की ओर से अनुसार है तथा पश्चात के मामले में, उन्हें उनके प्राधिकरण का साक्ष्य जमा करना आवश्यक होगा तथा किसी प्रकार बृद्धि में उनकी बोलियां निरस्त हो जाएंगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के सदस्यों के मंडल द्वारा पारित संकल्प पत्र की प्रति अथवा कोई अन्य आलेख कंपनी का प्रतिनिधित्व/सामान्य मुख्तार नाम प्रमाणित कोई अन्य आलेख तथा इस प्रकार जमा राशि को प्राप्त दर्ज फूट पटल प्राप्त कथित सेवा प्रदायक हेतु अथवा सीएच बैंक हेतु ई-मेल द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा कथित तिथि तक पहुंचना चाहिए तथा मूल प्रति कार्यालय, वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा तथा (6) सफलतम बोलीदाता को उपरोक्त पैराग्राफ-4 में अंकित विवरण अनुसार कथित खाता में बैंक के अगले कार्य दिवस अथवा अपराह्न 3 बजे तक धरोहर राशि (ईएमडी) के समायोजन के पश्चात अंतिम बोली राशि की 25% राशि जमा करना होगा तथा (7) सफलतम क्रेता हेतु सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन अथवा पूर्व अंतिम बोली राशि की शेष 75% राशि जमा करना होगा यदि 15वें दिवस में रविवार अथवा अन्य अवकाश दिवस अनुसार घोषित होता है तब उपरोक्त पैराग्राफ-4 में उल्लिखित अनुसार निर्धारित माध्यम तक 15वें दिन के पश्चात प्रथम बैंक कार्य दिवस सेवा कार्य अनुसार व्यवहार किया जाएगा तथा उपरोक्त के योग में क्रेता हेतु कार्यालय वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, के पक्ष में उपकर शुल्क रुपए 1,000.00 पैसे तक @2% तथा रुपए 1,000.00 पैसे को कथित राशि के अधिक की @1% राशि कार्यालय पंजीयनकर्ता, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में उपकर शुल्क भी जमा करना होगा तथा (8) निर्धारित अवधि के अंदर-अंदर भुगतान में असफल रहने के मामले में जमा राशि बिक्री का व्यय भुगतान के पश्चात जैसा भी हो सकता है, यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त विचार करता है नई सरकारी प्रयोजन हेतु जब्त हो जाएगी तथा सम्पत्ति बिक्री की नई घोषणा जारी के पश्चात पुनः बिक्री की जाएगी तथा आगे क्रेता उनकी अंतिम बोली राशि तथा मूल्य जिसके हेतु यह राशि तदपश्चात बिक्री की जाएगी के मध्य अंतर अथवा कोई अन्य सुविधा के उत्तम रूप से निर्मित करने हेतु भागीदार भी होगा। (9) अधोहस्ताक्षरी हेतु किसी अथवा समस्त बोलियों को स्वीकृति अथवा निरस्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित है, यदि बिना ताकिक प्राप्त है अथवा बिना कोई कारण निरूपित किए किसी तिथि तथा समय में नीलामी अगली तिथि तक स्थगित करने हेतु भी अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना आज तिथि 10 नवम्बर 2015 में न्यायालय को मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर अंतर्गत जारी की गई है।

(श्री सुजीत कुमार) वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

न्यायालय मुद्रा

ऋण वसूली न्यायाधिकरण -III, दिल्ली के समक्ष चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक को बकाया रकम की वसूली तथा वित्तीय संस्थान एक्ट 1993 की धारा 19 (4) ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम 1993) का नियम 12 एवं 13 के साथ पठित के अंतर्गत सूचना निम्नलिखित के मामले में, ओए सं.: 201/2015/डीआरटी-III यूको बैंक लि.

..आवेदक वनाम

श्री वीरेन्द्र ठाकुर एवं अन्य प्रतिवादी प्रेषित, प्रतिवादी क्र.-1 श्री वीरेन्द्र ठाकुर पुत्र श्री किरान ठाकुर, एच-1803, गली क्र.: 10, राजगढ़ कॉलोनी, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110031 द्वितीय पता- द्वारा मैसर्स बीएम ट्रेडिंग, 488/8ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110032 प्रतिवादी क्र.-2, श्रीमती शिफाली ठाकुर पत्नी श्री वीरेन्द्र ठाकुर, एच-1803, गली नं. 10, राजगढ़ कॉलोनी, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110032 द्वितीय पता- द्वारा मैसर्स बीएम ट्रेडिंग, 488/8ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110032

जबकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद संस्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण के संतोष हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको समन को तालीम साधारण माध्यम से संभव नहीं है। अतः यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 08.01.2016 में पूर्वाह्न 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त अंकित तिथि को इस न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असफल रहते हैं तो वाद आपको अनुपास्थिति में एक पक्षीय आधार में सुना तथा निर्धारित किया जायेगा। यह मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायाधिकरण की मुद्रा अन्तर्गत तिथि 02.11.2015 में जारी की गई है।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा पंजीयनकर्ता डीआरटी-III, नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली-110001

मैसर्स प्रेषित प्रतिवादी द्वारा व

शर्मा पु पॉकेट- दिल्ली- द्वितीय राहिणी तृतीय राहिणी जबकि प्रतिवादी (रु. स चौतीस वाद सं न्यायाधि गया है साधारण यह सूच निर्देशित 30.11. न्यायाधि करए। आपको आप उ न्यायालय असफल अनुपास्थि तथा निध

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली-110001

आप संख्या ओरिएटल

श्रीमती सप प्रेषित, प्रतिवादीगण केटगरी-एफ गाजियाबाद- 2 माहम्पूर गाजियाबाद- 3 माहम्पूर जबकि उपरो प्रतिवादी के। यह दर्शाया ग हेतु तिथि 22 प्राप्त रखे कि अनुपास्थिति में

has indicated that they might indulge in similar attacks in Indian cities as well," sources in an intelligence agency said.

DP/4680/NE/15

By Order,
Smt. Ritu Singh
Metropolitan Magistrate
Mahila Court No. 1,
Karkardooma Court, Shahdara, Delhi

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-II, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI
4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PATEL CHOWK, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

PROCLAMATION OF SALE

R.C.No.71/2015 UCObANK Vs. SH. NARESH GUPTA & ORS. Dated 10.11.2015
Proclamation of Sale under Rules 38, 52(2) of Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 Read with the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act, 1993.

- (1) Shri Naresh Gupta S/o. Shri Bal Kishan Gupta, B-29, Brij Vihar Apartments, Pitampura, Delhi-34.
- (2) Smt. Neha Gupta W/o. Shri Naresh Gupta, B-29, Brij Vihar Apartments, Pitampura, Delhi-34
- (3) Shri Tarun Kumar S/o. Shri Rajesh Kumar, H.No.111, Pocket-17, Sector-24, Rohini, Delhi.
- (4) Smt. Simran W/o. Shri Rajesh Kumar H.No.111, Pocket-17, Sector-24, Rohini, Delhi.

Whereas you have failed to pay the sum of Rs.43,18,722/- (Rupees Forty Three Lacs Eighteen Thousand Seven Hundred Twenty Two Only) payable by you/him as per recovery certificate in OA No.268/2012/DRT-III, Delhi dated 12.03.2015 issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Delhi and the interest and costs payable as per recovery certificate. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate. And whereas a sum of Rs.43,18,722/- (Rupees Forty Three Lacs Eighteen Thousand Seven Hundred Twenty Two Only) along with incidental expenses and interest thereon @ 13% simple per annum from the date of filing of the O.A. i.e. 07.06.2012, jointly and severally, till its realization in full are due against the you/CDs. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold on 28.12.2015 at 02:00 P.M. to 03:00 P.M. (with auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing, if required) by M/s. C1 India Pvt. Ltd., Gulf Petrochem Building, Building No.301, Udyog Vihar, Phase-2, Gurgaon, Haryana-122015, Help Line No.+91-124-4302020/21/22/23/24, e-mail ID: support@bankeauctions.com Contact Person: Mr. Rohit Sharma, Mobile No.09582385066 e-mail: rohit.sharma@c1india.com. For further details contact: Sh. Nemi Chand, Chief Manager having Mobile No.8447776715 and Land line number: 011-23753278. The sale will be of the property of the defendant above named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained are those specified in the schedule against each lot. The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions. The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

Description of the Property to be sold with the names of co-owners where the property belongs to defaulter and any other person as co-owners: Property bearing Flat No.193-B, First Floor, MIG Category, Block A-2, Type-A, situated at Ekta Apartments, Paschim Vihar, New Delhi.

Revenue assessed upon the property or any part thereof: - Not Known

Details of any other encumbrance to which property is liable: - Not Known

Claims, if any, which have been put forward to the property, and any other known particulars bearing on its nature and value: - Not Known

TERMS & CONDITIONS: (1) The reserve price below which the property shall not be sold is Rs.61,20,000/- (Rupees Sixty One Lacs Twenty Thousand Only). (2) The amount by which the bidding are to be increased shall be Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh Only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the shall at once be again put up to auction. (3) The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot. It shall be in the discretion of the undersigned to decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. (4) EMD of Rs.6,10,000/- (Rupees Six Lacs Ten Thousand Only) shall be deposited by 22.12.2015 on line through RTGS/NEFT/directly in to the account No.21281032220001 having IFSC Code No.UCBA0002128, UCO Bank, Assets Management Branch, Delhi -110001 or by way of DD/Pay order in favour of Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi to be deposited with Recovery Officer, DRT-III, Delhi. EMD deposited thereafter shall not be considered for participation in the e-auction. (5) The copy of PAN card, Address proof and identity proof, e-mail ID, Mobile No. and declaration if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be required to deposit their authority, and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation/attorney of the company and the receipt/counter file of such deposit should reach to the said service provider or CH Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi. (6) The successful bidder shall have to deposit 25% of his final bid amount after adjustment of EMD by next bank working day i.e. by 3:00 P.M. in the said account as per detail mentioned in para 4 above. (7) The purchaser shall deposit the balance 75% of final bid amount on or before 15th day from the date of sale of the property. If the 15th Day is Sunday or other Holiday, then on the first Bank working day after the 15th day by prescribed mode as stated in para 4 above. In addition to the above the purchaser shall also deposit poundage fee with Recovery Officer-II, DRT-III @ 2% up to Rs.1,000/- and @1% of the excess of said amount of Rs.1,000/- through DD in favour of the Registrar, DRT-III, Delhi. (8) In case of default of payment within the prescribed period, the deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or the amount deposited. The property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. Further the purchaser shall also be liable to make good of any shortfall or difference between his final bid amount and the price for which it is subsequently sold. (9) The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS". (10) The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

Given under my hand and seal on this 10th Day of November, 2015.



(SUJEET KUMAR),
RECOVERY OFFICER-II, DRT-III, DELHI

h murder

Bheora and Devi Singh by digging a 90-foot tunnel with his bare hands. Jagtar Singh Hawara and Bheora were re-arrested within the next two years. Tara, a proclaimed offender (PO) in this case, was arrested from Thailand in January this year, while Devi Singh is still absconding.

The Punjab and Haryana High Court had on 12 October 2010, commuted the death penalty of Hawara and sentenced him to life imprisonment "till death" in the chief minister's murder case. The then CM and 16 others were killed and 15 others were injured in the incident.

e in Africa

trust in us," he added.

India has said that ensuring access to affordable and quality medicines and treatment was an important area of cooperation between India and African countries.

"India's expertise in healthcare and affordable medicines can offer new hope in the fight against many diseases; and give a newborn a better chance to survive. We will also collaborate to develop Indian and African treasures of traditional knowledge and medicines," Prime Minister Narendra Modi told representatives from 54 African countries at the 29 October India-Africa Forum Summit.

Africa's Agenda 2063, adopted by all the African countries earlier this year, includes healthy and well-nourished citizens with long life spans as among its goals for Africa. It lays down that by 2063, "every citizen will have full access to affordable and quality healthcare services".